इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] भोपाल, सोमवार दिनांक 10 मार्च 2014—फाल्गुन 19, शक 1935


### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. एफ-02-77-1995-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची ''तीन''

[नियम 9 (4) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| विभाग का नाम | सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वन विभाग | म. प्र. राज्य वन सेवा, सहायक वन संरक्षक (कनिष्ठ वेतनमान). | 21 वर्ष | 28 वर्ष | अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक(या समकक्ष) होना चाहिये:—<br><br>प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रानिक्स/मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेण्डरी/मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो:—<br>1. जीव विज्ञान<br>2. भौतिक शास्त्र<br>3. रसायन शास्त्र<br>परन्तु अभ्यर्थी को निम्न दो विषय ऐच्छिक विषय के रूप में एक साथ लेने की पात्रता नहीं होगी:—<br>1. कृषि एवं कृषि इंजीनियरिंग<br>2. कृषि तथा पशु पालन (एनिमल हस्बेंडरी) एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस).<br>3. रसायन तथा रसायन इंजीनियरिंग<br>4. गणित तथा सांख्यिकी<br>5. इंजीनियरिंग विषयों में<br>कृषि/रसायन/सिविल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में से केवल एक ही विषय लिया जा सकेगा. |

No. F-02-77-1995-X-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh, State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for Schedule—III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE—III"

[See Rule—9 (4)]

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

| Name of the Department | Name of the Service, Post and Pay Scale where in the appointment shall be made by recruitment | Minimum Age limit | Maximum Age limit | Educational Qualification Prescribed |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Forest Department. | Madhya Pradesh State Forest Service, Assistant Conservator of Forests, (Junior Scale). | 21 Years | 28 Years | A Candidate must possess Bachelor's degree (or equivalent) in at least one of the following subjects:<br>Natural Science (Physics, Chemistry, |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Botany, Zoology) Mathematics, Statistics, Geology, Agriculture, Environmental Science, Forestry, Horticulture, Veterinary Science, Computer Application/Science, Engineering/ (Agriculture/Chemical/Civil/ Computer/Elecrical/Electronics/ Mechanical) from a recognized Indian University or hold equivalent foreign qualifications, provided that in the case of graduate with pure Mathematics, or Statistics, he/she must have taken one of the following subjects in his/her Higher Secondary/Matriculation or equivalent examination:— <br> 1. Zoology <br> 2. Physics <br> 3. Chemistry <br> Provided further that the candidates will not be Allowed to offer the following Combination of Subjects: <br> (a) Agriculture and Agricultural Engineering <br> (b) Agriculture and Animal Husbandry & Veterinary Science. <br> (c) Chemistry and Chemical Engineering. <br> (d) Mathematics and Statistics <br> (e) Of the Engineering subjects viz. Agricultural/Chemical/ Civil/ Mechanical/ Computer/Electronic/ Electric Engineering, only one subject may be Chosen. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रशान्त कुमार,** सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.